"मिटको" द्वारा अभ्रक का निर्यात

481. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान मिटको द्वारा किन-किन देशों के साथ अभ्रक का कुल कितना कारोबार किया गया तथा उन देशों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ख) क्या किसी देश ने ऐसे किसी सौदे के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है और सरकार को शिकायत की है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू): (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का कुल निर्यात कारोबार क्रमश: 24.50 करोड़ रुपये तथा 31.28 करोड़ रुपये (अनन्तिम) था । ये निर्यात मुख्यत: सोवियत संघ, जापान, यू.एस.ए., बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, रोमानिया, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन तथा दक्षिण कोरिया को किये गये हैं ।

(ख) बेल्जियम के मै० सी ओ जी ई बी आई ने संशोधन-पूर्व कीमतों पर अभ्रक कतरन की आपूर्ति के संबंध में मिटको के साथ अपने विवाद के संबंध में कुछ शिकायत सरकार से की थी । मिटको तथा मै. सी ओ जी ई बी आई ने विवाद पर अब विचार विमर्श कर लिया है तथा मै. सी ओ जी ई बी आई ने अभ्रक कतरन की आपूर्ति के लिये मिटको को और आर्डर दिये हैं ।

Irregularities in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Varanasi

482. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh Government has preferred a claim of about Rs. 5 lakh for realisation of sales-tax alongwith interest thereon from the Field Administrative Cell (Carpets) Varanasi, under the Office of the Development Commissioner (Handicrafts);

(b) if so, whether it is also a fact that the said amount has not been paid to the State Government so far due to faulty accounting and irregular sale, violating the prescribed policy in this regard;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, what action is proposed to be taken against the oferring officials; and

(d) what are the names of service centres involved in such irregularities in Uttar Pradesh particularly of Lucknow and Bhadohi ?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) Yes, Sir. Two notices for a total of Rs. 4.86 lakh have been received.

(b) The non payment of sales tax was due to receipt of sale proceeds through Form TR-5 which did not have a separate column for sales tax. The matter is under correspondence with Sales Tax Authorities.

(c) Does not arise.

(d) All the service centres, *viz.* Bhadohi, Allahabad, Lucknow, Bareilly, Faizabad, Varanasi and Muzaffarpur.